भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2408
सोमवार, 11 अगस्त, 2025 (20 श्रावण, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों के लिए हवाई यात्रा की सुलभता में सुधार

2408. श्रीमती सुधा मूर्ती:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर पेंशन या निश्चित आय पर जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों, के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और वहनीय बनाने के उपायों पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित नीतिगत हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख) : वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने "दिव्यांग व्यक्तियों और/या चलने-फिरने की कम क्षमता वाले व्यक्तियों की हवाई यात्रा" के संबंध में सीएआर खण्ड 3, श्रृंखला एम, भाग I और "हवाईअड्डों से यात्रा करने वाली सम्मानित जनता के लिए सुविधाएँ/शिष्टाचार" शीर्षक से वर्ष 2019 का हवाई परिवहन परिपत्र 2 जारी किया है, जिनमें यात्रियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों आदि के लिए पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एयरलाइनों और हवाईअड्डों के लिए सामान्य अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है।

हवाईअड्डों पर दिव्यांग व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों/चलने-फिरने की कम क्षमता वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए समर्पित "मे आई हैल्प यू" काउंटर उपलब्ध होते हैं। टर्मिनल प्रबंधकों को भी वरिष्ठ नागरिक/चलने-फिरने की कम क्षमता वाले व्यक्ति/दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करने के लिए नियमित रूप से संवेदनशील किया जाता है।

सरकार एयरलाइनों द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक किरायों को विनियमित नहीं करती है। किसी भी मार्ग पर किराया, अन्य बातों के साथ-साथ, सीजनैलिटी, छुट्टियों एवं त्योहारों, प्रतिस्पर्धा और ऐसे ही अन्य कारकों पर निर्भर होता है। एयरलाइन मूल्य निर्धारण विविध स्तरों {बकेट अथवा आरबीडी} में चलता है जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप होता है और गतिशील किराया मूल्य-निर्धारण के कारण, पहले से खरीदे गए टिकट यात्रा की तारीख के नजदीक खरीदे गए टिकटों की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135(1) के प्रावधानों के तहत, परिचालन लागत, सेवाओं की विशेषताओं, आम तौर पर प्रचलित टैरिफ आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनें टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होती हैं।

तथापि, सरकार महामारी जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में हस्तक्षेप करते हुए सतर्क निगरानी की भूमिका में रहती है ताकि यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे मामलों में, सरकार अत्यधिक कीमतों को कम करने और यात्रियों की सुविधा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी किराया सीमा लागू कर सकती है अथवा विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पुनर्वितरण कर सकती है।

इसके साथ ही, संबंधित एयरलाइनों के पास वरिष्ठ नागरिकों के लिए किफ़ायती हवाई यात्रा के संबंध में रियायतों के लिए अपनी नीतियाँ मौजूद होती हैं।

*****